न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर

प्रकरण संख्या :–

कैलाश चन्द्र पिता कजोड़ जी जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सरदार लाल पिता हरलाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. हंसराज पिता सोहनलाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 2-7-18

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 277 पर अंकित आराजी संख्या 890/468 रकबा 6–03 बीघा भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कास्यां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर राशि 500/- रु तय किये जाते है जो वक्त पत्रावली प्राप्त किया राशि

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 277 पर अंकित आराजी संख्या 890/468 रकबा 6–03 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner